मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।
विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

702/2016

जावक क्रमांक 419-422
भोपाल, दिनांक 24-07-2020

प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी / ~~705 / 2017~~

आवेदकः–
M/s Lakshmi Stoni Marmo Pvt. Ltd.,
325, Samta Colony,
Raipur – 492 001
(Chhattisgarh)

विरूद्ध अनावेदकगणः–

1- M/s Dolphin Marble Pvt. Ltd.
4, Nagar Nigam Shopping Complex,
New Bus Stand,
Katni – 483 501 (M.P.)

2- M/s Dolphin Marble Pvt. Ltd.
NH-7, Main Road,
Gram & Post – Chhapra,
Katni – 483 501 (M.P.)

3- Shri Mohmmad Afzal Abubaker Mitha,
Director, M/s Dolphin Marble Pvt. Ltd.
Hotel Regal, Sita Building,
Nagpur – 440 012 (MH)

<u>अन्तिम सुनवाई दिनांक 09.06.2020</u>

<u>माध्यस्थम आदेश दिनांक 22.07.2020</u>

आवेदक द्वारा दिनांक 30.06.2016 को प्रस्तुत दावा आवेदन–पत्र में निम्नानुसार दावे का प्रस्तुतीरण किया हैः–

1) अनावेदक द्वारा आवेदक को समय–समय पर मौखिक आदेश व्यक्तिशः आवेदक की खदान में आकर, एवं दुरभाष पर दिये गये, जिसके अनुपालन में आवेदक द्वारा अनावेदक को कुल राशि रू. 1,43,36,497/– की 4481.21 क्यूबिक मीटर मार्बल का प्रदाय दिनांक 24.11.2009 से दिनांक 04.02.12 तक विभिन्न इन्वाईसेस के माध्यम से प्रदाय किया गया है।

2) अनावेदक द्वारा समय–समय पर आवेदक की खदान में आकर मार्बल ब्लॉक्स क्रय किया है, जिसमें से अधिकांशतः अनावेदक द्वारा अलग–अलग प्रांतों में सीधे विक्रय किया है, जिसका फार्म–सी अनावेदक द्वारा आवेदक के पक्ष में जारी किया गया है एवं कुछ मार्बल ब्लॉक्स स्वयं की फेक्ट्री में इस्तेमाल किया है। अनावेदक द्वारा देयको की कुल राशि रू. 1,43,36,497/– में से राशि रू. 1,07,54,5117/– की सामग्री के सी–फार्म जारी किये गये है।

3) आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि अनावेदक को दिनांक 02.03.2009 से दिनांक 31.03.2012 तक कुल राशि रू. 1,43,36,497/– की सामग्री प्रदाय की गई जिसमें से, आवेदक को अनावेदक द्वारा राशि रू. 73,83,834/– का भुगतान किया गया है तथा राशि रू. 69,52,663/– अनावेदक पर बकाया है।

..........2

4) आवेदक द्वारा मुलधन राशि रू. 69,52,663/− एवं इस राशि पर ब्याज की गणना हेतु अपाईन्टेड डे दिनांक 01.04.2012 नियत कर, मुलधन राशि रू. 69,52,663/− पर, दिनांक 01.04.2012 से दिनांक 31.05.2016 तक की ब्याज राशि रू. 1,35,22,124/− कुल राशि रू. 2,04,74,787/− एवं भुगतान दिनांक तक के ब्याज राशि का भुगतान कराने हेतु निवेदन किया है।

5) आवेदक द्वारा दावा आवेदन के समर्थन में अनावेदक द्वारा प्रदत्त मौखिक आदेश के अनुक्रम मे आवेदक द्वारा जारी इन्वाईसेस, अनावेदक द्वारा आवेदक के पक्ष में जारी सी–फार्म, वित्तीय वर्ष 2012–13, वर्ष 2014–15, एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 की ऑडिटेड बैलेंस शीट, अनावेदक को भुगतान प्राप्ति हेतु भेजे गये नोटिस/पत्राचार, उद्योग आधार मेमारेण्डम तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कटनी द्वारा जारी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट की प्रतियाँ प्रस्तुत की गई है।

6) काउन्सिल के नोटिस क्रमांक 597–600, दिनांक 29.07.2016, से आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र की प्रति अनावेदक कम्पनी/डायरेक्टर को प्रेपित कर, 15 दिवस में उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र, पर अनावेदकगणों की ओर से दिनांक 28.04.2018 को प्रस्तुत उत्तर निम्नानुसार है :–

1). आवेदक की कडिका कं 1 में प्रस्तुत तथ्य मान्य है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत कंडिका क. 2 में अनावेदक को बिकय की मात्रा एवं मूल्य जो आवेदन में दर्शित है उसका अनावेदक के खाते से मिलान हो रहा है जो प्रदाय आदेश के अनुकम में जारी बिल/इनवाइस का विवरण एवं सामग्री/सेवा का नाम मात्रा एवं मुल्य हमारे खाते (अभिलेख) से मिलान हो रहा है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत कंडिका क. 4 में उल्लेखित तथ्य जो विकेता एवं केता के मध्य कोई लिखित अनुबन्ध नहीं था परन्तु विकेता एवं केता के मध्य आपसी समझौते के तहत व्यापार किया जाना सही है किन्तु बिलों का भुगतान 30 दिन के समय में किया जाना गलत आधार भूत तथ्य दिया गया है, जो अमान्य है।

2). अनावेदक द्वारा आवेदक को आपसी समझौतें के अतंर्गत व्यापार को सूचारू रूप से सम्पादित करने हेतु आशिंक पूर्ण भुगतान 30 दिन से 90 दिनों के बीच किया जाता रहा है आवेदक द्वारा कई भुगतान की राशि का उल्लेख अपने खाते में जमा नहीं किया गया है। अनावेदक द्वारा आवेदक को समय–समय पर मेसर्स ओरियेन्ट आटोमोबाइल्स कटनी से डीजल उसके खाते में उपलब्ध कराया गया है, जिसे आवेदक अपने खाते व विवरण में आंशिक भुगतान प्राप्त वर्श 2010–2011 में अंकित रू. 20,96,293/– ही दर्शाया है, जो कि यह राशि अनावेदक के खाते से मिलान नहीं होती है।

3). ओरियेन्ट आटोमोबाइल्स कटनी अनावेदक के माध्यम से तथा डालफिन मार्बल प्रा. लि. द्वारा मशीन रेन्ट के रूप में आवेदक को वर्श 01.04.2008 से 31.02.2012 तक रूपये 5383966/– का डीजल व मशीन रेन्ट बिल उपलब्ध कराया गया है जो कि उक्त आवेदक द्वारा खाते के अभिलेखों में जमा नहीं किया है। मात्र कल्पना के आधार पर 01.04.2010 से 31.03.2011 तक के वर्ष में रूपये 2096293/– का भुगतान जमा दिखाया गया है। शेश राशि रूपये 32,87,673/– भुगतान का जमा नहीं दिखाया गया है। आवेदक द्वारा खाते में दिनांक 17.03.2011 को जमा राशि रूपये 30792/–

.........3

जो कि अनावेदक ने भुगतान किया ही नहीं उसे आवेदक द्वारा भुगतान प्राप्त दिखाया गया है, जबकि यह राशि वर्ष 2009–2010 का अन्तिम शेष तथा वर्ष 2010–2011 का प्रारम्भिक शेष के अन्तर की राशि को जमा कर लिया गया है। यह अनावेदक के खाते से मिलान नही होती है, जो कि अनावेदक ने भुगतान किया ही नहीं उसे आवेदक द्वारा भुगतान प्राप्त दिखाया गया है,

4). आवेदक द्वारा खाते में बिलों के बाकी के रूपये 69,52,663/– की मांग अनावेदक के समक्ष विवरण देकर कभी नहीं की गयी थी। अनावेदक के बार बार आग्रह के बावजूद आवेदक ने अपने खाते का विवरण अनावेदक के समक्ष कभी भी प्रस्तुत नहीं किया है, जो कि, विवाद उत्पन्न होने का कारण बना।

5). अनावेदक के खाते के अनुसार दिनांक 02.03.2009 से 31.03.2012 के मध्य आवेदक से अनावेदक ने रूपये 1,43,37,277/– की खरीदी की है, जिसके विरूद्ध रूपये 1,46,90,589/– का भुगतान किया गया। आवेदक ने मात्र अपने लेखे में कुल 73,83,834/– ही भुगतान की प्राप्ति दर्शायी गयी है। समाशोधन पश्चात रूपये 7,30,595/– का जो आवेदक ने भुगतान किया है, उस राशि को अपने खाते में जमा नहीं किया है। उल्लेखित Reconciliation Statement संलग्न है ।

6). अनावेदक द्वारा आवेदक के मद में रायल्टी, फीस तथा वैधानिक खर्च इत्यादि से सम्बंधित भुगतान की रकम आवेदक द्वारा अपने खाते में जमा नहीं किया जिसका विवरण इस प्रकार है:–

कमांक	दिनांक	विवरण	भुगतान रकम	योग
01	29/09/2009	रायल्टी भुगतान चालान नं. 253	200000/-	
	06/10/2009	TCS Challan NO. 196	5200/-	
	26/10/2009	Royalty Challan No. 198	200000/-	
	26/10/2009	T.P. Book Challan No. 197	100/-	
	26/10/2009	TCS Challan No. 196	5200/-	
	01/12/2009	TCS Challan No. 121	7800/-	
	01/12/2009	Royalty Challan No. 125	200000/-	
	01/12/2009	Royalty Challan No. 129	100000/-	
	24/02/2010	Royalty Challan No. 115	175000/-	
	24/02/2010	Royalty Challan No. 115	175000/-	
	24/02/2010	Royalty Challan No. 121	175000/-	
	24/02/2010	TCS Challan No. 120	9100/-	
	03/03/2010	Royalty Challan No. 50	175000/-	
	03/03/2010	TCS Challan No. 45	4550/-	
		TOTAL		1256950/-
02	05/03/2010	Cheque no. 067141 Dt. 05.03.10 Bank of India Katni	500000/-	500000/-
03	29/03/2012	SAS Fees Deposit by By Challan no. 028	710225/-	710225/-
04	30/03/2012	SAS Renewel FeesDeposit By Challan no. 233	600000/-	600000/-

..........4

05	Diesel Supplied by Orient Automobiles on our behlf. (from 01.04.2008 to 31.03.2012)		
	01/04/2008 TO 31/03/2009 01/04/2009 TO 31/03/2010 01/04/2010 TO 31/03/2011 01/04/2011 TO 31/03/2012 Add:- Machine Rent Bill of Dolphin Marble P. Ltd. 01.04.2008 to 31.03.2009	870461/- 973548/- 2745244/- 682317/- 5271570/- 112396/- 5383966/-	
	Less:- आवेदक द्वारा भुगतान प्राप्त (लेखा अनुसार) वर्ष 2010–2011	5383966/- मे से Less 2096293/- BAL. 3287673/-	3287673/-
06	Lease Renewel Charges 07/06/2012 R.no. 2120/2347 dt.07/06/12 1- Less:- opening bal. अन्तर की राशि दिनांक 17.03.2011 2-Less:- Purchase Bill के अन्तर की राशि	982700/- मे से Less 30792/- & 781/-	BAL 951127/-
	अनावेदक द्वारा कुल व्यय Less:- आवेदक द्वारा मांग राशि	7305975/- मे से Less 6952663/-	कुल बकाया 353312/-
	अनावेदक का आधिक्थ्य का भुगतान जो आवेदक से प्राप्त योग्य है		353312/-

7). अनावेदक द्वारा उक्त भुगतान की गयी राशि को लेखा पुस्तकों में आवेदक ने जमा नहीं किया है। अनावेदक की लेखा पुस्तक एवं आडिट रिर्पोट यह दर्शाती है कि भुगतान अधिक किया गया है। अनावेदक को अधिक भुगतान की गयी रकम रू. 353312/– दिलाया जावें। अतः आवेदक द्वारा मांग की गयी राशि रूपये 6952663/– आमान्य योग्य है। कोई भी बिल भुगतान हेतु शेष नहीं है। आवेदक द्वारा कंडिका क्र. 5 में उल्लेखित देय राशि रूपये 6952663/– पर विलंम्बित भुगतान पर ब्याज की मांग किया जाना अनुचित है। इसे अनावेदक अमान्य करता है।

8). अनावेदक का यह भी कहना है कि आवेदक का वित्त वर्ष 2008–2009 से 2011–2012 तक का विवाद है। आवेदक द्वारा उद्योग विभाग में पंजीयन दिनांक 22.05.2016 को कराया है। यद्यपि हमारा कथन है कि आवेदक को विवाद के पूर्व उद्योग विभाग में पंजीयन कराना चाहिये था, इसलिये इस फोरम में प्रकरण संस्थित किये जाने हेतु विधिक रूप से अमान्य है।

अनावेदक की ओर से प्रस्तुत उत्तर पर आवेदक द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 13.08.2018 को प्रस्तुत रिज्वाईण्डर के बिन्दु निम्नानुसार है :–

1).<u>प्रदाय सामग्री अनुक्रम में प्राप्त एवं अप्राप्त भुगतान राशि का विवरण :–</u>

अनावेदक एवं आवेदक द्वारा दर्शाये गये प्राप्त एवं अप्राप्त भुगतान का विवरणः–

विवरण	अनावेदक द्वारा दर्शायी राशि	आवेदक द्वारा दर्शायी राशि
कुल विक्रय 02.03.2009 से 31.03.2012	1,43,37,277/–	1,43,36,497/–
प्राप्त भुगतानः		
रायल्टी एव टीसीएस की कुल राशि दिनांक 29.09.2009 से 03.03.2010	12,56,950/–	0

दिनांक 05.03.2010 का भुगतान	5,00,000/–	0
एसएएस फीस डिपोजिट दिनांक 29.03. 2012	7,10,225/–	0
एसएएस रिनिवल फीस डिपोजिट दिनांक 30.03.2012	6,00,000/–	0
डीजल का भुगतान दिनांक 01.04.2008 से 31.03.2012	31,75,277/–	0
मशीन रेंट दिनांक 01.04.2008 से 31.03. 2009	1,12,396/–	0
लीज रिनिवल चार्जेस दिनांक 07.06.2012	9,82,700/–	0
ओपनिंग बैलेंस में अंतर की राशि	30,792/–	0
कुल उपरोक्त भुगतान की राशि	**73,05,975/–**	**प्राप्त भुगतान 0**

2). अनावेदक के तथ्य के अनुसार अनावेदक द्वारा कुल 12,56,950/– रूपये (रायल्टी एवं टीसीएस चालान) जमा किया गया है। इस संदर्भ में आवेदक का कथन है कि अनावेदक से 2002 से कई सालों तक मार्बल ब्लाक्स का विक्रय होते आ रहा था, लेकिन कभी भी अनावेदक से लेनदेन शून्य (0) नही हो पाया था। दिनांक 02.03.2009 तक यह विक्रय डालफिन मार्बल्स के नाम से हो रहा था। दोनो पार्टीस के आपसी समझौते के तहत यह निश्चित हुआ था कि दिनांक 02.03.2009 तक के बिल कमांक 55 तक का विक्रय डालफिन मार्बल्स के नाम से था। उसके बाद बिल कमांक 56 से विक्रय डालफिन मार्बल्स पाईवेट लिमिटेड के नाम से था। आवेदक के बुक्स में अनावेदक के 2 खाते 1.डॉलफिन मार्बल्स 2. डॉलफिन मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड, है ।

3). अनावेदक का यह कथन है कि रायल्टी एवं टीसीएस की कुल राशि 12,56,950/– जो कि दिनांक 29.09.2009 से 03.03.2010 का भुगतान आवेदक ने नही दिखाया है, सही नही है। आवेदक ने अनावेदक द्वारा बकाया राशि को डालफिन मार्बल्स के खाते में जमा दिखाया है। आवेदक का डालफिन मार्बल्स से दिनांक 01.04.2009 को 18,90,612/– शेष था, अनावेदक द्वारा 12,56,950/– का भुगतान डालफिन मार्बल्स के लिए जमा किया गया था ना कि डालफिन मार्बल्स पाईवेट लिमिटेड के खाते में। उपरोक्त अनुसार अनावेदक का कथन अमान्य है।

4). अनावेदक ने दर्शाया है कि दिनांक 05.03.2010 कुल 5,00,000/– रूपये अनावेदक द्वारा भुगतान किया गया था। यह राशि आवेदक की बुक्स में डॉलफिन मार्बल्स के नाम से दर्शाया गया था। अनावेदक डालफिन मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड से अप्राप्त भुगतान राशि 69,52,663/– में यह 5,00,000/– सम्मलित नही है। यह राशि का भुगतान डालफिन मार्बल्स के खाते में दर्ज है अतः अप्राप्त भुगतान की राशि अभी भी 69,52,663/– ही है।

अनावेदक द्वारा प्रस्तुत डालफिन मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड के लेजर दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2010 का अवलोकन करने पर, दिनांक 05.03.2010 को राशि रू. 5,00,000/– का भुगतान डालफिन मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा आवेदक लक्ष्मी स्टोनी मारमो प्रा. लि. को किया जाना नही पाया गया है। अनावेदक द्वारा भुगतान किया जाना प्रमाणित नही होने से अमान्य किया जाता है।

5. अनावेदक के तथ्य के अनुसार अनावेदक द्वारा दिनांक 29.03.2012 को रू. 7,10,225/– (एसएएस फीस डिपोजिट) एवं दिनांक 30.03.2012 को 6,00,000/– (एसएएस रिनिवल फीस डिपोजिट) का भुगतान इनके द्वारा किया गया था, परंतु यह राशि आवेदक लक्ष्मी स्टोनी मारमों प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भुगतान किया गया था। दिनांक 29.03.2012 को 8,00,000/– एवं दिनांक [illegible] को [illegible]/– रूपये आवेदक ने अपने यूनियन बैंक के खाते से नकद निकाला था। बैंक से निकाली गयी राशि एवं आवेदक के नकद केश बैलेंस की राशि से एसएएस फीस डिपाजिट [illegible]/– एवं एसएएस रिनिवल फीस डिपाजिट 6,00,000/– का भुगतान आवेदक द्वारा किया गया था। अनावेदक का यह तर्क मान्य नही है।

6. अनावेदक ने दर्शाया है कि दिनांक 01.04.2008 से 31.03.2012 तक डीजल का कुल भुगतान [illegible]/– उनके द्वारा ओरिएन्ट आटोमोबाईल्स को लक्ष्मी स्टोनी मारमों प्राईवेट लिमिटेड की ओर से किया गया है जिसका भुगतान आवेदक ने नही दिखाया है। अनावेदक का यह तथ्य मान्य नही है। आवेदक ने कुल 20,96,293/– राशि का ही डीजल ओरिएन्ट आटोमोबाईल्स से खरीदा था। शेष राशि 31,75,277/– (52,71,570–20,96,293) का डीजल आवेदक द्वारा ओरिएन्ट आटोमोबाईल्स से नही खरीदा गया है। अतः शेष राशि 31,75,277/– का भुगतान अनावेदक द्वारा नही किया गया है। महोदय को यह बताना आवश्यक है कि ओरिएन्ट आटोमोबाईल्स अनावेदक की ग्रुप की पुर कन्सर्न है। अतः अनावेदक ने आवेदक पर झूठा क्लेम किया है।

7. अनावेदक ने दर्शाया है कि उनके द्वारा दिनांक 01.04.2008 से 31.03.2009 तक मशीन रेंट की कुल राशि [illegible]/– का भुगतान आवेदक द्वारा नही किया गया है। अनावेदक का यह तथ्य मान्य नहीं है। आवेदक ने अनावेदक की मशीन का उपयोग नही किया है।

8. अनावेदक डॉलफिन मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड के तथ्य के अनुसार अनावेदक द्वारा दिनांक [illegible] को [illegible]/– रूपये (लीज रिनिवल चार्जेस) का भुगतान इनके द्वारा किया गया था, परन्तु यह राशि आवेदक लक्ष्मी स्टोनी मारमों प्राईवेट लिमिटेड की ओर से स्वयं के द्वारा भुगतान किया गया था। अनावेदक का यह तर्क मान्य नही है।

9. अनावेदक द्वारा दर्शाया गया ओपनिंग बैलेंस में अंतर की राशि 30,792/– मान्य है, क्योकि आवेदक के बुक्स में अनावेदक के 2 खाते 1.डॉलफिन मार्बल्स 2. डॉलफिन मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड है। अंतर की राशि का विवरण इस प्रकार है–

क्र		दिनांक	राशि
1	डॉलफिन मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड	31.03.2010	37,48,534/–
2	डॉलफिन मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड	01.04.2010	37,17,742/–
[illegible]	डॉलफिन मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड की बुक्स में अंतर की राशि (1–2)		30,792/–Dr
[illegible]	डॉलफिन मार्बल्स	12.03.2010	30,792/– Cr
3	कुल अंतर की राशि		0.00

अतः दो अलग–अलग खाते 1.डॉलफिन मार्बल्स 2. डॉलफिन मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड होने

के कारण यह अंतर की राशि थी। यह खाता एक हो जाने से कोई भी अंतर नही रह जाता है। डॉलफिन मार्बल्स के खाते एवं डॉलफिन मार्बल्स एवं डॉलफिन मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्मलित लेजर की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

10). अनावेदक द्वारा आवेदक को समय-समय पर 20,000/- से अधिक का नगद भुगतान दर्शाया है, जो आयकर अधिनियम 40A(3)(a) के विरूद्व है। अनावेदक के खाते की आडिट आयकर अधिनियम की धारा 44AB के तहत की जाती है। कृपया अनावेदक से उक्त धारा में हुई आडिट रिपोर्ट की कापी तथा आयकर विविरणी की कापी मंगाई जावे जिसमें सही तथ्य सामने आ सके। अतः अनावेदक द्वारा कुल भुगतान की राशि 73,05,975/- अमान्य है। अतः आवेदक द्वारा मांगी गई राशि 69,52,663/- अभी भी शेष है। अनावेदक का दावा है कि पूर्णतः भुगतान किया जा चुका है यह तथ्य अमान्य है।

11). उपरोक्त तथ्यों के अनुसार यह सुनिश्चित हो जाता है कि अनावेदक द्वारा दर्शायी गयी भुगतान की राशि पूर्णतः विश्वास योग्य नही है। अतः आवेदक द्वारा मांग की गई राशि 69,52,663/- का भुगतान अभी भी शेष है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि हमारी अप्राप्त राशि का भुगतान जल्द से जल्द प्राप्त कराने की कृपा करें। आवेदक के द्वारा अनावेदक को निरंतर स्मरण कराने के बाबजूद भी अनावेदक ने शेष राशि का भुगतान नही किया है। अतः आवेदक ने उधोग विभाग में पंजीकरण कराया जिससे कि आवेदक को पारदर्शित फैसला एवं अप्राप्त राशि का भुगतान प्राप्त होगा।

1. **प्रकरण सुनवाई दिनांक 15.03.2017, 27.05.2017, 28.04.2018, 30.10.2019, एवं दिनांक 09.06.2020 को नियत किया गया।**

2. प्रकरण सुनवाई दिनांक 30.10.2019 को उभयपक्षों ने अवगत कराया किदोनो पक्षों के मध्य सुलह की कोई संभावना नही है। अतः काउन्सिल द्वारा सुलह की कार्यवाही समाप्त की गई और प्रकरण आगामी सुनवाई को आर्बिट्रेशन हेतु नियत किया गया।

3. अन्तिम सुनवाई दिनांक 09.06.2020 को आवेदक विडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से उपस्थित हुए एवं अनावेदक स्वयं उपस्थित हए।

4. प्रकरण में दोनो पक्षों को सुना गया। आवेदक का कहना है कि उनका 69.52 लाख मिलना शेष है। अनावेदक का कहना है कि उन्होने पुरा भुगतान कर दिया है, बल्कि 3 लाख अतिरिक्त भुगतान कर दिया है।

प्रकरण गुण-दोष के आधार पर आदेश हेतु नियत किया गया।

5. सुनवाई दिनांक 09.06.2020 को वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किये गये तथ्यों को आवेदक द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 09.06.2020 से प्रस्तुत किये गये, जो दिनांक 15.06.2020 को प्राप्त हुआ है, में आवेदक द्वारा उन्ही तथ्यों का प्रस्तुतीकरण किया गया है, जो प्रति उत्तर (Rejoinder) में उल्लेखित किये गये है।

प्रकरण में वाद बिन्दु निम्नानुसार है :–

1/ आवेदक का कथन है कि आवेदक द्वारा अनावेदक को प्रदायित सामग्री की बकाया राशि रू. 69,52,663/– अनावेदक से लेना शेष है।

2/ अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के अनुसार आवेदक की अन्य देयताओं जैसे डीजल व मशीन रेन्ट, रायल्टी, फीस तथा वैधानिक खर्च इत्यादि पर अनावेदक द्वारा व्यय की गई कुल राशि रू. 73,05,975/– में से आवेदक से प्राप्त की गई सामग्री की बकाया राशि रू. 69,52,663/– के समायोजन उपरांत विरूद्ध की राशि रू0 3,53,312/– आवेदक से लेना शेष है।

3/ अनावेदक का कथन है कि आवेदक का वित्त वर्ष 2008–2009 से 2011–2012 तक का, विवाद है। आवेदक द्वारा उद्योग विभाग में पंजीयन दिनांक 22.05.2016 को कराया है। यद्यपि हमारा कथन है कि आवेदक को विवाद के पूर्व उद्योग विभाग में पंजीयन कराना चाहिये था, इसलिये इस फोरम में प्रकरण संस्थित किये जाने हेतु विधिक रूप से अमान्य है।

अनावेदक की उक्त आपत्तियों पर काउन्सिल का विश्लेषण निम्नानुसार है :–

1/ आवेदक एवं अनावेदक के मध्य प्रदायित सामग्री की गुणवत्ता, मात्रा, एवं मूल्य के संबंध में कोई विवाद नही है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र एवं प्रति उत्तर तथा संलग्नकों के अनसार आवेदक द्वारा अनावेदक को कुल राशि रू. 1,43,36,497/– की सामग्री का प्रदाय किया गया जिसमें से अनावेदक से राशि रू. 73,83,834/– का भुगतान प्राप्त हो गया है तथा राशि रू. 69,52,663/– अनावेदक पर बकाया है, जिसे अनावेदक द्वारा भी प्रदायित सामग्री के विरूद्ध मान्य किया गया है।

आवेदक द्वारा अनावेदक पर राशि रू. 69,52,663/– बकाया होने की पुष्टि हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 के संधारित अनावेदक के खाते (लेज़र) की प्रति, तथा अनावेदक पर वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक राशि रू. 69,52,663/– बकाया होने का चार्टड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त सर्टीफिकेट दिनांक 28.06.2016 प्रस्तुत किया है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभिलेखों से राशि रू. 69,52,663/– अनावेदक पर बकाया होना प्रमाणित होता है।

2/ अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के अनुसार आवेदक द्वारा दावा की गई राशि रू. 69,52,663/– आवेदक को देय थी, जिस पर कोई विवाद नही है। विवाद यह है कि आवेदक को देय राशि रू. 69,52,663/– के एवज में अनावेदक द्वारा, आवेदक की अन्य देयताओं जैसे डीजल व मशीन रेन्ट, रायल्टी, फीस तथा वैधानिक खर्च इत्यादि पर कुल राशि रू. 73,05,975/– का व्यय किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

स. क्र.	विवरण	अनावेदक द्वारा आवेदक की देयता पर व्यय की गई राशि
(1)	रायल्टी एव टीसीएस की कुल राशि दिनांक 29.09.2009 से 03.03.2010	12,56,950/–
(2)	दिनांक 05.03.2010 का भुगतान	5,00,000/–
(3)	एसएएस फीस डिपोजिट दिनांक 29.03.2012	7,10,225/–

(4)	एसएएस रिनिवल फीस डिपोजिट दिनांक 30.03.2012	6,00,000 / —
(5)	डीजल का भुगतान दिनांक 01.04.2008 से 31.03.2012	31,75,277 / —
(6)	मशीन रेंट दिनांक 01.04.2008 से 31.03.2009	1,12,396 / —
(7)	लीज रिनिवल चार्जेस दिनांक 07.06.2012	9,82,700 / —
(8)	ओपनिंग बैलेंस में अंतर की राशि	30,792 / —
	कुल उपरोक्त भुगतान की राशि	**73,05,975 / —**

(1) अनावेदक द्वारा दिनांक 29.09.2009 से 03.03.2010 तक की रायल्टी एवं टीसीएस की कुल राशि रू. 12,56,950 / — का व्यय किया जाना बताया गया है।

आवेदक का कहना है, कि आवेदक द्वारा रायल्टी एवं टीसीएस की कुल राशि 12,56,950 / — जो कि दिनांक 29.09.2009 से 03.03.2010 का भुगतान आवेदक ने नही दिखाया है, सही नही है। आवेदक ने अनावेदक द्वारा बकाया राशि को डालफिन मार्बल्स के खाते में जमा दिखाया है। आवेदक का डालफिन मार्बल्स से दिनांक 01.04.2009 को रू. 18,90,612 / — शेष था, अनावेदक द्वारा 12,56,950 / — का भुगतान डालफिन मार्बल्स के लिए जमा किया गया था ना कि डालफिन मार्बल्स प्प्राईवेट लिमिटेड के खाते में। उपरोक्त अनुसार अनावेदक का कथन अमान्य है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत लेजर 01.04.2009 से 31 मार्च 2010 में ओपनिंग बैलेन्स 18,90,612 / — है तथा अनावेदक द्वारा जवाबदावा अन्तर्गत व्यय बतायी गई राशियों का उल्लेख आवेदक द्वारा प्रस्तुत लेजर 01.04.2009 से 31 मार्च 2010 में दर्शायी गई है, जिसका समायोजन आवेदक द्वारा खाते में किया गया है, वही राशियॉ है जिसे अनावेदक द्वारा अपने जवाव दावे में वर्णीत किया है तथा जिनकी पुष्टि रायल्टी एव टीसीएस की जमा की गई रसीदों में दर्शित राशियों से होती है। अतः रायल्टी एवं टीसीएस की कुल राशि 12,56,950 / — का पुनः समायोजन, आवेदक द्वारा दावा की गई राशि रू. 69,52,663 / — में से किया जाना अमान्य किया जाता है।

(2) अनावेदक द्वारा राशि रू. 5,00,000 / — का भुगतान आवेदक को बैंक ऑफ इण्डिया, कटनी के चेक नम्बर 067141, दिनांक 05.03.2010 से करना दर्शित किया है।

उक्त राशि के संबंध में आवेदक ने लेख किया कि आवेदक की बुक्स में डॉलफिन मार्बल्स के नाम से दर्शाया गया था। अनावेदक डालफिन मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड से अप्राप्त भुगतान राशि 69,52,663 / — में यह 5,00,000 / — सम्मलित नही है। इस राशि का भुगतान डालफिन मार्बल्स के खाते में दर्ज है। अतः अप्राप्त भुगतान की राशि अभी भी 69,52,663 / — ही है।

(3) एवं (4) अनावेदक द्वारा दिनांक 29.03.12 को एसएएस फीस डिपोजिट की राशि रू. 7,10,225 / — एवं दिनांक 30.03.2012 को एसएएस रिनिवल फीस डिपोजिट की राशि रू. 6,00,000 / — आवेदक हेतु व्यय किया जाना उल्लेखित किया है।

उक्त संबंध में आवेदक का कथन है कि उक्त राशि का भुगतान आवेदक लक्ष्मी स्टोनी मारमों प्राईवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था। दिनांक 29.03.2012 को 8,00,000 / — एवं 30.03.2012 को रू. 2,00,000 / — आवेदक ने अपने यूनियन बैंक के खाते से नकद निकाला था। बैंक से निकाली गयी राशि एवं आवेदक के नकद केश बैलेंस की राशि से एसएएस फीस डिपाजिट 7,10,225 / —

..........10

9/2017

एवं एसएएस रिनिवल फीस डिपाजिट 6,00,000/— का भुगतान आवेदक द्वारा किया गया था।

उक्त संबंध में आवेदक द्वारा युनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते की प्रति प्रस्तुत की गई, जिसमें आवेदक द्वारा दिनांक 29.03.2012 को राशि रू. 8,00,000/— एवं दिनांक 30.03.2012 को राशि रू. 2,00,000/— की निकासी दर्शित है।

उक्त राशि का व्यय आवेदक हेतु अनावेदक द्वारा किये जाने के संबंध में अनावेदक द्वारा ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे दिनांक 29.03.2012 को एसएएस फीस डिपोजिट की राशि रू. 7,10,225/— एवं दिनांक 30.03.2012 को एसएएस रिनिवल फीस डिपोजिट की राशि रू. 6,00,000/— का व्यय अनावेदक द्वारा किये जाना की पुष्टि हो सके। अतः उक्त राशि रू. 7,10,225/— एवं राशि रू. 6,00,000/— का समायोजन, प्रमाणीकरण नही होने से, आवेदक द्वारा दावा की गई राशि रू. 69,52,663/— में से किया जाना अमान्य किया जाता है।

(5) अनावेदक ने दर्शाया है कि दिनांक 01.04.2008 से 31.03.2012 तक डीजल का कुल भुगतान 52,71,570/— अनावेदक द्वारा ओरिएन्ट आटोमोबाईल्स को लक्ष्मी स्टोनी मारमों प्राईवेट लिमिटेड की ओर से किया गया है जिसका भुगतान आवेदक ने नही दिखाया है। अनावेदक ने दर्शित किया है कि दिनांक 01.04.2008 से 31.03.2012 तक राशि रू. 31,75,277/— के डीजल का भुगतान ओरिएन्ट आटोमोबाईल्स को लक्ष्मी स्टोनी मारमों प्राईवेट लिमिटेड की ओर से किया गया है।

उक्त संबंध में आवेदक का कथन है कि आवेदक द्वारा कुल राशि रू. 20,96,293/— का ही डीजल ओरिएन्ट आटोमोबाईल्स से खरीदा गया था। राशि 31,75,277/— (52,71,570—20,96,293) का डीजल आवेदक द्वारा ओरिएन्ट आटोमोबाईल्स से नही खरीदा गया है। अतः शेष राशि 31,75,277/— का भुगतान अनावेदक द्वारा नही किया गया है। तत्संबंध में आवेदक द्वारा ओरिएन्ट आटोमोबाईल्स को दिनांक 30.04.2010 से दिनांक 31.03.2011 तक भुगतान की गई राशि रू. 20,96,293/— की पुष्टि हेतु लेजर खाते की प्रति प्रस्तुत की गई। अनावेदक का कथन है कि ओरिएन्ट आटोमोबाईल्स अनावेदक की खुद में ग्रुप कन्सर्न है। अतः अनावेदक ने आवेदक पर झूठा क्लेम किया है।

अनावेदक द्वारा दिनांक 01.04.2008 से 31.03.2012 तक राशि रू. 31,75,277/— के डीजल का भुगतान ओरिएन्ट आटोमोबाईल्स को आवेदक लक्ष्मी स्टोनी मारमों प्राईवेट लिमिटेड की ओर से अनावेदक द्वारा किया गया है, के संबंध में अनावेदक द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जा सके है। अतः राशि रू. 31,75,277/— का व्यय अनावेदक द्वारा किया जाना, प्रमाणित नही होने से, आवेदक द्वारा दावा की गई राशि रू. 69,52,663/— में से समायोजित किया जाना अमान्य किया जाता है।

(6) अनावेदक उल्लेख किया है कि अनावेदक द्वारा दिनांक 01.04.2008 से 31.03.2009 तक अनावेदक की मशीन रेंट की कुल राशि 1,12,396/— का भुगतान आवेदक द्वारा नही किया गया है।

उक्त संबंध में आवेदक का कथन है कि आवेदक ने अनावेदक की मशीन का उपयोग नही किया है।

अनावेदक द्वारा आवेदक को मशीन रेंट पर उपलब्ध कराई गई थी, के संबंध में कोई साक्ष्य

..........11

स्वरूप अभिलेख प्रस्तुत नही किये है। अतः अनावेदक की मांग अमान्य की जाती है।

(7) अनावेदक ने दर्शित किया है कि दिनांक 07.06.2012 आवेदक की ओर से लीज रिनिवल चार्जेस की राशि रू. 9,82,700/— का भुगतान अनावेदक द्वारा द्वारा किया गया था।

उक्त संबंध में आवेदक द्वारा लेख किया है कि आवेदक ने यह राशि लक्ष्मी स्टोनी मारमों प्राईवेट लिमिटेड की ओर से स्वयं के द्वारा भुगतान किया गया था, जिसके चालान की प्रति आवेदक द्वारा प्रस्तुत की है। अतः अनावेदक का उक्त कथन साक्ष्य के अभाव में मान्य योग्य नही है।

(8) अनावेदक द्वारा जवाबदावे में ओपनिंग बैलेंस में अंतर की राशि 30,792/— को आवेदक द्वारा दावा की गई राशि रू. 69,52,663/— में से कम करना उल्लेखित किया है।

आवेदक का कथन है कि अनावेदक द्वारा दर्शाया गया ओपनिंग बैलेंस में अंतर की राशि 30,792/— मान्य है, क्योकि आवेदक के बुक्स में अनावेदक के 2 खाते 1.डॉलफिन मार्बल्स 2. डॉलफिन मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड है। अंतर की राशि का विवरण इस प्रकार है:—

क.		दिनांक	राशि
1	डॉलफिन मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड	31.03.2010	37,48,534/—
2	डॉलफिन मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड	01.04.2010	37,17,742/—
3	डॉलफिन मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड की बुक्स में अंतर की राशि (1—2)		30,792/—Dr
4	डॉलफिन मार्बल्स	12.03.2010	30,792/— Cr
5	कुल अंतर की राशि		0.00

अतः दो अलग—अलग खाते **1.**डॉलफिन मार्बल्स **2.** डॉलफिन मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड होने के कारण यह अंतर की राशि थी। यह खाता एक हो जाने से कोई भी अंतर नही रह जाता है। डॉलफिन मार्बल्स के खाते तथा डॉलफिन मार्बल्स एवं डॉलफिन मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्मलित लेजर की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनावेदक डॉलफिन मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड के लेज़र दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2010 में दिनांक 31.03.2010 में Closing Balance रू. 37,48,534/— तथा लेज़र दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2011 में दिनांक 01.04.2010 में Opening Balance रू. 37,17,742/— है जबकि रू. 37,48,534/— ही होना चाहिये था, जिसके अन्तर की राशि रू. 30,792/— है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत डॉलफिन मार्बल्स के लेज़र दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2010 में दिनांक 31.03.2010 में Closing Balance 30,792/— है। आवेदक द्वारा राशि रू. 30,792/— डॉलफिन मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड की बुक्स में डेबिट की गई है एवं डॉलफिन मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड की बुक्स में क्रेडिट की गई है, अतः अन्तर की राशि शुन्य हो गई है। अतः अनावेदक द्वारा मांग की गई अंतर की राशि अमान्य की जाती है।

3/ अनावेदक की आपत्ति है कि आवेदक का वित्त वर्ष 2008—2009 से 2011—2012 तक का, विवाद है। आवेदक द्वारा उद्योग विभाग में पंजीयन दिनांक 22.05.2016 को कराया है। यद्यपि हमारा कथन है कि आवेदक को विवाद के पूर्व उद्योग विभाग में पंजीयन कराना चाहिये था, इसलिये इस फोरम में प्रकरण संस्थित किये जाने हेतु विधिक रूप से अमान्य है।

आवेदक ने, प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र के बिन्दु क्रमांक 16 (ब) में लेख किया है कि पहले खदानों को उद्योग का दर्जा नही दिया जाता था, इसलिये कंपनी को दिनांक 22.03.2001 को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट जारी हुआ था, इसके पश्चात 2009-10 में खदानों को उद्योग का दर्जा दिया जाने लगा जिसके बारे में हमें जानकारी नही थी। कंपनी ने दिनांक 22.05.2016 को उद्योग का रजिस्ट्रेशन कराया है।

उक्त संबंध में काउन्सिल का विचारण है कि आवेदक को दिनांक 22.03.2001 को जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कटनी द्वारा SSI का प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट जारी किया गया था। इसके पश्चात आवेदक द्वारा दिनांक 22.05.2016 को उद्योग आधार में पंजीयन कराया गया है, जिसका पंजीयन क्रमांक MP26A0000475 है, जिसमें आवेदक के उद्योग की Date of Commencement 19.09.2002 दर्शित है तथा Previous Registration details में SSI 1017481 दर्शित है। उद्योग आधार पंजीयन अनुसार आवेदक सूक्ष्म उद्यम के रूप में पंजीकृत है। अतः आवेदक इस काउन्सिल में प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु पात्रता रखता है। अनावेदक की आपत्ति निरस्त की जाती है।

अनावेदक द्वारा आवेदक से प्राप्त की गई अविवादित सामग्री की बकाया राशि रू. 69,52,663/- जिसका भुगतान किया जाना अनावेदक द्वारा मान्य किया गया है, का समायोजन उपरोक्तानुसार प्रमाणित नही होने से, अनावेदक द्वारा आवेदक को राशि रू. 69,52,663/-देय होना प्रमाणित होता है।

आवेदक द्वारा दावा आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2016 अन्तर्गत संदाय राशि रू. 69,52,663/- एवं इस संदाय राशि पर अपाईन्टेड डे दिनांक 01.04.2012 से दिनांक 31.05.2016 तक संगणित ब्याज की राशि रू. 1,35.22,124/- इस प्रकार दिनांक 31.05.2016 की स्थिति में कुल राशि रू. 2,04,74,787/- अनावेदक के विरूद्ध दावा प्रस्तुत किया गया। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा अन्तर्गत विलम्बित भुगतान पर, ब्याज की मांग को अनुचित बताया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 16 अन्तर्गत प्रदाय तथा अच्छी आपूर्ति के लिए विलंब से हुए भुगतान पर ब्याज का भुगतान किये जाने का प्रावधान है। अतः आवेदक, संदाय राशि रू. 69,52,663/- एवं इस संदाय राशि पर अपाईन्टेड डे दिनांक 01.04.2012 से दिनांक 31.05.2016 तक संगणित ब्याज की राशि रू. 1,35.22,124/- इस प्रकार दिनांक 31.05.2016 की स्थिति में कुल राशि रू. 2,04,74,787/- एवं इस राशि पर दिनांक 01.06.2016 से भुगतान दिनांक तक का ब्याज अनावेदक से प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम-09 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काउन्सिल निर्णय देती है कि अनावेदक क्रमांक-1 M/s Dolphin Marble Pvt. Ltd. 4, Nagar Nigam Shopping Complex, New Bus Stand, Katni – 483 501 (M.P.) 2- M/s Dolphin Marble Pvt. Ltd., NH-7, Main Road, Gram & Post – Chhapra, Katni – 483 501 (M.P.) एवं अनावेदक क्रमांक-3 Shri Mohmmad Afzal Abubaker Mitha, Director, M/s Dolphin Marble Pvt. Ltd. Hotel Regal, Sita Building, Nagpur– 440012(MH) द्वारा, उन पर बकाया संदाय राशि रू. 69,52,663/- (रूपये उनहत्तर लाख बावन हजार छ सौ तिरसठ मात्र) एवं इस राशि पर नियत अपाईन्टेड डे दिनांक 01.04.2012 से दिनांक 31.05.2016 तक की ब्याज राशि रू. 1,35.22,124/-

..........13

(रूपये एक करोड़ पैतीस लाख बाईस हजार एक सौ चौबीस मात्र) कुल राशि रू. 2,04,74,787 / — (रूपये दो करोड़ चार लाख चौहत्तर हजार सात सौ सत्यासी मात्र) एवं इस राशि पर दिनांक 01.06.2016 से भुगतान दिनांक तक की ब्याज राशि का भुगतान "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006" की धारा 16 में वर्णित प्रावधान अनुसार, आवेदक M/s Lakshmi Stoni Marmo Pvt. Ltd., 325, Samta Colony, Raipur–492 001 (Chhattisgarh) को आदेश पारित होने की सूचना प्राप्ति दिनांक से, 30 दिवस में किया जावे।

अनावेदक द्वारा समयावधि में भुगतान न करने पर, आवेदक, अनावेदक द्वारा उपरोक्तानुसार देय कुल राशि पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 16 में वर्णित प्रावधान अनुसार, भुगतान दिनांक तक, मासिक आधार पर, चक्रवृद्धि ब्याज, पाने का अधिकारी होगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 19 में निहित आज्ञापक प्रावधान अनुसार, अनावेदक, पारित इस आदेश / अवार्ड के विरूद्ध अपील दिनांक तक की, कुल संगणित ब्याज सहित मूलधन राशि की 75 प्रतिशत राशि, सक्ष्म प्राधिकारी / अपील न्यायालय के समक्ष जमा कर, इस आदेश / अवार्ड के विरूद्ध अपील कर सकेगा।

प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभयपक्षों को प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव, "मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद" भोपाल को आवेदन कर, प्रति पृष्ठ हेतु रू. 2 / — के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।

उभयपक्ष अपना—अपना वाद स्वयं वहन करेंगे।

(दीपाली रस्तोगी)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

(पी. एस. सरमा)
शासकीय सदस्य,
म.प्र.0 सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल
एवं
अतिरिक्त महाप्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
भोपाल।

(सी. मिंज)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल
एवं
सहायक प्रबंधक,
एमएसएमई विकास संस्थान,
भोपाल।